

अचल सम्पत्ति के बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रावर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

सर्वसाधारण एवं विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं जमानतदार(रों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/बंधक है, जिसका संरचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा **पंजाब नैशनल बैंक** (सुरक्षित लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, नीचे उल्लेखित उधारकर्ता(ओं) एवं जमानतदार(रों) से बैंक/सुरक्षित लेनदार की बकाया राशि की वसूली के लिए निम्नलिखित सम्पत्तियों को **“जैसा है जहाँ है”, “जैसा है जो है” एवं “वहाँ जो कुछ भी है”** के आधार पर निम्नलिखित तालिका में दिये तिथि एवं समय पर बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य एवं अग्रधन राशि भी नीचे तालिका में सम्पत्ति के सामने वर्णित है।

सुरक्षित परिसम्पत्तियों की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम	बंधक रखी गई अचल सम्पत्तियों का विवरण/मालिक का नाम (सम्पत्तियों के बंधककर्ता)	क) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13 (2) के तहत मॉग सूचना की तिथि ख) 13 (2) नोटिस की तिथि तक बकाया राशि ग) सरफेसी अधिनियम 2002 के धारा 13 (4) के तहत कब्जा सूचना की तिथि घ) कब्जा स्वरूप सांकेतिक/भौतिक/संरचनात्मक	क) आरक्षित मूल्य (₹ लाख में) ख) ईएमडी (केवाईसी एवं ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि) ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तारीख/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण
	खाता का नाम					
	खाता नं.					
	ऋणी / जमानतदार खाता का नाम एवं पता					
1.	क) शाखा: छितौली (144100) ख) मेसर्स मुस्कान ईट उद्योग ग) 1441008700010680 घ) मॉ. इब्राहिम पिता स्व. नथुनी मियां	भूमि एवं भवन में शामिल: (i) डीड सं. 5167 दिनांक 08.10.1991 मॉ. इब्राहिम पिता नथुनी मियां के नाम पर पंजीकृत जो मौजा-छितौली कलां, जिला सिवान में स्थित, थाना सं. 114, तौजी सं. 1625/6843, खाता सं. 328, खेसरा सं. -748, रकवा 3 कट्टा, चौहद्दी:- उत्तर: निज सं. दीगर, दक्षिण: अब्दुल मियां,	क) 09.01.2024 ख) ₹ 20,54,073.68+ ब्याज और उस पर शुल्क ग) 08.05.2025 घ) सांकेतिक	क) ₹ 67,96,000/- ख) ₹ 6,79,600/- (26.03.2026) सायं 5:00 बजे तक ग) ₹ 0.50 लाख	27.03.2026 को प्रातः 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक	शून्य

पूरब-भुईर साह बैदर, **पश्चिम**: मुबारक अंसारी खाता सं. 71, खेसरा सं. 778, 1 कट्टा 10 धुर, **चौहद्दी**:- उत्तर: शिव पूजन प्रसाद बैदर नं. हाजा, दक्षिण: निज नं. दीगर वो में वाया होता है ता इमरोजा, **पूरब**-राम प्रसाद बैदर नं. हाजा, **पश्चिम**: निज बाकिये मनमोकिरा मि नं. हाजा, (ii) डीड सं 5168 दिनांक 08.10.1991 मॉ. इब्राहिम पिता नथुनी मियां के नाम पर पंजीकृत जो मौजा छितौली कलां, जिला-सिवान, थाना सं.-114, तौजी सं.-1625 हाल 6843, खाता सं. 71, सर्वे सं. 778, रकवा 2 कट्टा 10 धुर, **चौहद्दी**:- उत्तर: मी नो हाजा जो दीगर वसीका मे होता है ब ता उमरोजा, दक्षिण:ब्रह्मदेव महतो बाइदर नो दीगर, **पूरब**-रामा प्रसाद बाइदर नो हाजा, **पश्चिम**: निज बाकिये मनमोकिरा मी नो हाजा।

- बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 और निम्न नियम एवं शर्तों के अधीन होगी। नीलामी बिक्री “ई-नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन” पोर्टल <https://baanknet.com> से होगी।
- इच्छुक बोलीदाताओं/खरीददारों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाईल ईमेल-आईडी और मोबाईल नम्बर का उपयोग करके पोर्टल (<https://baanknet.com>) पर पंजीकरण करें। ई-केवाईसी की प्रक्रिया डिजिटलॉकर के माध्यम से की जानी है। ई-केवाईसी हो जाने के बाद इच्छुक बोलीदाता/खरीदार पोर्टल में ई-नीलामी तिथि और समय से पहले ऑनलाइन/चालान का प्रयोग करके ईएमडी राशि को अपने ई-वॉलेट में स्थानांतरित कर सकते हैं। पंजीकरण, ई-केवाईसी का स्थापन, वॉलेट में ईएमडी का स्थानांतरण और वॉलेट राशि को म्यति से जोड़ना नीलामी से पहले ही पूरा कर लिया जाना चाहिए।
- उपरोक्त वर्णित ब्याना राशि (ईएमडी) का भुगतान ऑनलाइन/चालान के माध्यम से किया जायेगा तथा बोलीदाताओं के ई-वॉलेट में जमा किया जायेगा। जो बोलीदाता आवश्यक ईएमडी ऑनलाइन जमा नहीं करेगे, उन्हें ई-नीलामी में भाग लेने अनुमति नहीं दी जाएगी। जमा की गई ब्याना राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- ई-नीलामी के लिए प्लेटफार्म (<https://baanknet.com>) ई-नीलामी सेवा प्रदाता **M/s PSB Alliance Pvt. Ltd.** द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट 1, तीसरा तल्ला, वीआईओएस कॉमर्शियल टावर, बडाला ट्रक टर्मिनल के नजदीक, वडाला ईस्ट, मुम्बई-400037 में है। हेल्प डेस्क +91-8291220220 ई-मेल आईडी support.baanknet@psballiance.com। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीददारों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाईट <https://baanknet.com> पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा।
- बिक्री के सामान्य नियमों और शर्तों वाली बिक्री सूचना निम्नलिखित वेबसाईट/वेब पेज पोर्टल पर उपलब्ध/प्रकाशित हैं:-
(1) <https://baanknet.com>, (2) www.pnbindia.in
- ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी ई-नीलामी पोर्टल (<https://baanknet.com>) से इस ई-नीलामी से संबंधित बिक्री नोटिस, ई-नीलामी की नियम व शर्तें, ई-नीलामी के परिचालन भाग सहायता पुस्तिका की प्रतियां नि:शुल्क डाउनलोड कर सकते हैं।
- बोली लगाने के समय बोलीदाता के ई-वैलट में पर्याप्त राशि ($\geq$ ईएमडी राशि) होनी चाहिए।
- ई-नीलामी के दौरान बोलीदाताओं को अंतिम बोली के अतिरिक्त आपसी बोली में चेंची बोली लगाने की अनुमति होगी तथा बोली राशि में वृद्धि उल्लिखित वृद्धि राशि के बराबर होनी चाहिए। बोली लगाने वाले को क्रमिक उच्चतर बोली लगाने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा और यदि किसी बोलीदाता द्वारा अंतिम उच्चतर बोली के लिए 10 मिनट की समाप्ति के बाद किसी भी उच्चतर बोली की पेशकश नहीं की जाती है, तो ई-नीलामी बंद हो जाएगी।
- यह नीलामी की परिचालन सूचना, बिक्री नियमावली, ई-ऑक्शन के परिचालन से संबंधित हेल्प मैनुअल नियमों एवं शर्तों को ठीक से पढ़ने और उन्हें शक्ति से पालन करने की जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी।
- ई-नीलामी प्रक्रिया से पहले या इसके दौरान किसी भी कठिनाई होने पर सहायता हेतु बोलीदाता हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता **M/s PSB Alliance Pvt. Ltd.** के प्राधिकृत प्रतिनिधि से संपर्क किया जा सकता है। जिसका विवरण **baanknet** पोर्टल पर उपलब्ध है।
- प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी को अंतिम रूप देने के बाद, केवल सफल बोलीदाता को हमारे उपरोक्त सेवा प्रदाता द्वारा एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सूचित किया जायेगा। (उनके द्वारा सेवा प्रदाता के पास दिये गए/पंजीकृत किये गए मोबाईल नं०/ई-मेल पर)।
- सुरक्षित परिसंपत्ति को आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं बेचा जाएगा।
- सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (पच्चीस प्रतिशत) (ईएमडी जमा राशि घटा कर) उसी दिन या अगले कार्यदिवस में जमा करना होगा एवं शेष राशि नीलामी की तिथि से 15 दिनों के भीतर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा ‘प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नैशनल बैंक, ‘(Sundry-NPA/SARFAESI/Auction related’ Account Number: 829700317118A) (IFS Code: PUNB0829700) के पक्ष में पटना में देय जारी बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भुगतान करना होगा। निर्धारित समय के भीतर उक्त राशि जमा करने में विफलता के मामले में देय, सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गयी राशि बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी और प्राधिकृत अधिकारी के पास संपत्ति को नये सिर से नीलामी/बिक्री करने की स्वतंत्रता होगी और डिफाल्टर बोली लगाने वाले के पास जब्त राशि और संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा।
- सफल बोलीदाता को बिक्री पर विचार होने के बाद बैंक को भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-1A के तहत टीडीएस के अधीन होगा एवं सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि के शेष 75% पूर्ण राशि जमा के समय ही टीडीएस दिया जाना है।
- प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि बोली स्वीकार नहीं पाया जाता है तो या अस्थगित/रद्द/टालने/बंद करने या किसी भी समय नीलामी की शर्तों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा।
- बिक्री प्रमाण पत्र अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण बोली राशि जमा करने पर सफल बोलीदाता के पक्ष में जारी किया जाएगा।
- संपत्तियों को **“जैसा है, जहाँ है” एवं “जैसा है, जो है”** तथा **“वहाँ जो कुछ भी है”** के आधार पर बेचा जा रहा है।
- अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोच्चतम जानकारी के अनुसार कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए उत्तदायी नहीं होगा।
- बोली लगाने से पहले यह बोली लगाने वाले कि जिम्मेदारी होगी की वे परिसंपत्तियों और विनिर्देश के बारे में निरीक्षण करें और स्वयं को संतुष्ट करें। बोली लगाने वाले विवरण के अनुसार बोली लगाने वाले अधिकारी के प्रामर्श से संपत्तियों का निरीक्षण कर सकते हैं।
- सभी वैधानिक देय/परिवर्ण/पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित अन्य देय राशि क्रेता को वहन करनी होगी।
- प्राधिकृत अधिकारी या बैंक किसी भी प्रमाण, ग्रहणाधिकार, इंक्रम्बेंस या सरकार या किसी अन्य को देय संपत्तियों (ई-नीलामी) के संबंध में बैंक को ज्ञात नहीं होने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे संपत्तियों पर सांविधिक भार के बारे में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करें, जिसमें वैधानिक दायित्व, संपत्ति कर का बकाया आदि शामिल है।
- बोली लगाने वाले को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर बैक-अप आदि सुनिश्चित करना चाहिए। इंटरनेट की विफलता, बिजली की विफलता या तकनीकी कारणों या आकस्मिकताओं के कारण बैंक किसी भी व्याधान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- प्रतिनिधि को नियुक्त करने और स्व-बोली लगाने और नीलामी में भाग लेने के लिए बैंक स्वतंत्र है।

बिक्री की वित्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया निम्न वेबसाईट देखें: <https://baanknet.com>, & www.pnbindia.in

सरफेसी अधिनियम, 2002 की नियम 8 (6) के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री सूचना

दिनांक : 21.02.2026

स्थान : पटना

नोट : विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

(प्राधिकृत अधिकारी)

पंजाब नैशनल बैंक (सुरक्षित लेनदार)